



कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➤ अलवर में आरोपी शंकर लाल शर्मा हाल सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना अरावली विहार जिला अलवर 10,000/- रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

जयपुर दिनांक 14 जुलाई, 2026। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी अलवर प्रथम द्वारा आज कार्यवाही करते हुये शंकर लाल शर्मा हाल सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना अरावली विहार जिला अलवर को 10,000/- रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथो गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि एसीबी चौकी अलवर पर परिवादी ने पुलिस थाना अरावली विहार में परिवादी के पुत्र के विरुद्ध दर्ज अपराध संख्या 269/26 के आई.ओ शंकर लाल शर्मा हाल सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना अरावली विहार जिला अलवर के द्वारा मुकदमे में परिवादी के लडके का नाम निकालने एवं मारपीट नही करने एवं मदद करने की एवज में 25,000/- रुपये रिश्वत मांग कर परेशान किया जा रहा है। तथा आरोपी द्वारा दिनांक 13.07.2026 को सुबह परिवादी के घर जाकर परिवादी व सहपरिवादी से 5000/- रुपये लेने तथा 20,000/- रुपये शाम तक लेकर आने कि शिकायत एसीबी चौकी अलवर प्रथम को दी गई, जिस पर एसीबी चौकी अलवर द्वारा सत्यापन करवाया जाने पर आरोपी शंकर लाल शर्मा हाल सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना अरावली विहार जिला अलवर ने रिश्वत मांग सत्यापन के समय परिवादी व सहपरिवादी से 10,000/- रुपये रिश्वत के लेना तथा बकाया 10,000/- रुपये की मांग करना पाया गया।

जिस पर एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम डॉ. रामेश्वर सिंह के सुपरवीजन में ए.सी.बी.चौकी अलवर प्रथम के उप अधीक्षक पुलिस प्रभारी श्री शब्बीर खान द्वारा आज ट्रेप कार्यवाही करते हुए शंकर लाल शर्मा हाल सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना अरावली विहार जिला अलवर को सहपरिवादी से 10,000/- रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव एवं महानिरीक्षक श्रीमती एस. परिमला के सुपरवीजन में आरोपी से पुछताछ एवं कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर 1064 एवं व्हाट्सएप हेल्पलाइन नम्बर 94135-02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी सहायता करेगी।